भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 289
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कार्यान्वयन

289. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण भारत में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रकाशम जिले सहित पूरे आंध्र प्रदेश में कृषि मशीनीकरण, कृषि-आधारित उद्यमिता और वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास से संबंधित इसके घटकों के कार्यान्वयन की स्थिति का जिला-बार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रकाशम जिले सहित पूरे आंध्र प्रदेश में पीएम-आरकेवीवाई के कुल लाभार्थियों (पुरुष, महिला और अन्य) की वर्ष-वार, घटक-वार और जिला-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने किसानों के बीच पीएम-आरकेवीवाई के लाभ, विशेषकर नए / उन्नत किए गए घटकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) सहित सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों के 14 राज्यों को शामिल किया गया था तथा यह अध्ययन जिला-विशिष्ट नहीं था।

इस अध्ययन में कृषि मशीनीकरण के संबंध में उल्लेख किया गया है कि कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) के माध्यम से मशीनीकरण सहायता तथा मशीनरी उपलब्ध कराए जाने से छोटे किसानों की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य तो प्रदर्शित हुआ है परंतु यह स्वतंत्र हस्तक्षेप के रूप में नहीं रहा। जिन क्षेत्रों में मशीनीकरण को इनपुट वितरण तथा प्रदर्शन आधारित गतिविधियों के साथ एकीकृत किया गया, वहां उपयोग तथा सेवा उपयोगिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, इसमें व्यापक रूप से कस्टम हायरिंग केंद्रों, बीज आपूर्ति तथा किसान प्रशिक्षणों को संयोजित करने, सीएचसी को एकीकृत केंद्रों के रूप में उपयोग करने तथा सीएचसी के प्रबंधन, उपयोग की निगरानी और घटकों में समग्र कवरेज सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय तकनीकी सुविधा टीमों को संस्थागत रूप देने की सिफारिश की गई। कृषि-उद्यमिता एवं नवाचार के संबंध में, अध्ययन में इसे कृषि प्रसंस्करण, युवा कौशल विकास, एफपीओ सहायता तथा नवाचार प्रयोगशालाओं को एकीकृत करने वाले मूल्य श्रृंखला इनक्यूबेटर प्लेटफॉर्म में युक्तिसंगत बनाने; इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग, प्रमाणन तथा बाजार-प्रवेश शामिल करने वाले चरणबद्ध उद्यम सहायता फ्रेमवर्क विकसित करने; तथा कार्यशील पूंजी की उपलब्धता, लेखा-जोखा सहायता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संस्थानों एवं स्टार्ट-अप मिशनों के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा प्रदान करने का सुझाव दिया। इसके अलावा, अध्ययन में एकीकृत कृषि प्रणालियों के तहत पशुधन विकास की भी सिफारिश की गई, जिसे विस्तार तथा घरेलू पशुपालन हस्तक्षेपों के साथ संयोजित किया जाए।

(ग) लाभार्थियों से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत पूरे राज्य तथा प्रकाशम जिले में घटक-वार लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार सूचित की है:

क्र. सं.	घटक	आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रकाशम जिले में लाभार्थियों की कुल संख्या
1	कृषि मशीनीकरण उप-मिशन	100295	5108
2	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास	23584	6809
3	आरकेवीवाई-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	13892692	365838
4	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता	1308469	70054
5	परंपरागत कृषि विकास योजना	3786259	159263
6	फसल विविधीकरण कार्यक्रम	47168	13618
7	पर ड्रॉप मोर क्रॉप	377374	29398

(घ) जी हां। भारत सरकार पीएम-आरकेवीवाई सहित कृषि योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु निरंतर कदम उठाती रहती है। इनमें स्टेकहोल्डर के लिए पारदर्शिता तथा सुगमता सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से दिशा-निर्देशों का प्रसार शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विभागों तथा क्षेत्रीय स्तर के विस्तार कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी विस्तार सेवाएं कार्यान्वित की जाती हैं, जो किसानों को विभिन्न घटकों तथा किसान-विशिष्ट हस्तक्षेपों के बारे में शिक्षित करते हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के बीच पीएम-आरकेवीवाई के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु उठाए गए निम्नलिखित योजना-वार कदमों की सूचना दी है:

i) कृषि मशीनीकरण उप-मिशन: सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, विशेष रूप से एस.एम.ए.एम., के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु किसानों तक पहुंचने के लिए पोलम पिलुस्थोंडी कार्यक्रम जैसी विस्तार गतिविधियां।

ii) मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (सॉइल हेल्थ ऐंड फर्टिलिटी): मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) मोबाइल ऐप्लिकेशन के माध्यम से मिट्टी के सैंपल एकत्र किए जाते हैं तथा इस पोर्टल पर फसल-वार उर्वरक अनुशंसाओं सहित मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सॉइल हेल्थ कार्ड) तैयार किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य तथा एसएचसी परिणामों की व्याख्या के बारे में जागरूकता का प्रसार एटीएमए/डीआरसी कर्मचारियों, केवीके वैज्ञानिकों तथा कृषि विस्तार कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

iii) मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों तथा अन्य कृषि इनपुट के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसल चक्र अपनाने आदि के बारे में किसानों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने हेतु दिनांक 01 जून से 30 जून, 2026 तक राज्यव्यापी "खेत बचाओ अभियान" आयोजित किए गए।

iv) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास: हस्तक्षेपों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु लाभार्थियों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) गतिविधियों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

v) पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी): पीडीएमसी (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा रख-रखाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु सूक्ष्म सिंचाई कंपनियों के सहयोग से किसानों के खेतों में किसानों, अधिकारियों तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अभियान आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई में ऑटोमेशन पर जिला-स्तर तथा राज्य-स्तर पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

vi) कृषि वानिकी; राज्य सरकार ने वन विभाग के माध्यम से वन प्रजाति की पौध (पौध सामग्री) की उपलब्धता के संबंध में प्रचार-प्रसार किया है।
